# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

# Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/2989
दिनांक : 18.09.2020

## कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुये थे कि उनके महाविद्यालय/संस्थानों में अल्पंसख्यक कोटे से कतिपय रूप से प्रवेशित छात्र/छात्राओं का ऑनलाईन शुल्क एवं परीक्षा फार्म कन्फर्म एवं जमा नही हो पाये है। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं के हित को दृष्टिगत रखते हुये इनके ऑनलाईन परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फार्म ऑनलाईन जमा कराये जाये। उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा प्रो0 वाई0विमला, प्रति–कुलपति की अध्यक्षता में तीन सदसीय समिति का गठन किया गया गठित समिति की बैठक दिनांक 07.09.2020 को सम्पन्न हुई समिति द्वारा जॉचोपरान्त निम्न आख्या प्रस्तुत की है:–

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम के सत्र 2019–21 में यू0पी0 बी0एड0 जे0ई0ई0 की काउँसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के कार्यक्रम के पश्चात् चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थनों के अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश हेतु समय–सारिणी के अनुसार दिनांकः 06.07.2019 को प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की गई थी। विश्वविद्यालय स्तर पर सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को पूर्व की भाँति यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार दिनांकः 13.07.2019 से 15.07.2019 तक केवल उन अभ्यार्थियों के प्रवेश करने के लिये अधिकृत होंगे, जिन्होंने विश्वविद्यालय पोर्टल पर दिनांकः 11.07.2019 तक अपना पंजीकरण कराया हो। ऐसे अभ्यर्थियों के लिये यह भी आवश्यक था कि उनका नाम विश्वविद्यालय द्वारा अल्पसंख्यक सीटों के सापेक्ष जारी की गई मेरिट में सम्मिलित हो। इस प्रकार मेरिट में घोषित अभ्यार्थियों, जिन्होंने प्रवेश शुल्क जमा कर दिया था तथा महाविद्यालय पोर्टल पर उनके प्रवेश से सम्बन्धित पुष्टीकरण कर दिया गया हो, की सूची विश्वविद्यालय में दिनांकः 16 व 17.07.2019 तक उपलब्ध करायी जानी थी।

विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह संप्रेषित किया गया था कि यदि कोई महाविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार उपरोक्त वर्णित सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराता अथवा किसी अभ्यर्थी का नाम उक्त सूची में उल्लेखित नहीं करता है तो नियत दिनांक के पश्चात ऐसे कोई सूची विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं होगी एवं ऐसे कोई अभ्यर्थी की न तो विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह होगा और ऐसी दशा में ऐसे अभ्यर्थी के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्थान का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्षों से अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करते हुए स्पष्ट नियम निर्गत किये हैं। इसी क्रम में शैक्षिक सत्र 2019–21 के लिये भी ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश के स्पष्ट नियम निर्गत थे।

इस सम्बन्ध में निम्न विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित सिद्धान्तों निर्णयों एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत नियमों का संज्ञान लेना सुसंगत है।

01. SLP (C) No. 12640/2010
02. SLP (C) No. 5500/2011
03. SLP (C) No. 11752/2011
04. SLP (C) No. 13040/2010 में पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के गजट (आसाधारण) विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम), जून 10, 2015
05. विश्वविद्यालय के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या– 40829/2018 (इस प्रकरण में समस्त वादी छात्र लॉयड कालिज ऑफ लॉ के कथित छात्र थे)

विश्वविद्यालय के विरूद्ध योजित रिट याचिका संख्या– 40829/2018 में विश्वविद्यालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय के अन्दर विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपना पंजीकरण निर्धारित शुल्क जमा करने के साथ नहीं कराता है तो वह विश्वविद्यालय के किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय में उस शिक्षण सत्र में प्रवेशित होने के लिये अर्ह नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे अपंजीकृत अभ्यर्थी का न तो प्रवेश सम्पुष्ट हो सकता है और न ही ऐसा अभ्यर्थी उस सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह होगा।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परिशीलन किया गया एवं समस्त तथ्यों व परिस्थितियों का आंकलन किया गया। प्रत्यावेदन के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि बी0एड0 पाठ्यक्रम के सत्र 2019–21 में कुल 877 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका शुल्क जमा था किन्तु महाविद्यालयो द्वारा उनके प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर Confirm नही किये गये थे। परिणामतः वह अप्रवेशित रहे।

यह भी स्पष्ट है कि 84 अभ्यर्थियों की सूची प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने वाले महाविद्यालयों से प्राप्त हुई है जिनमें से 11 अभ्यर्थी शान्ति निकेतन इन्स्टीट्यूट फॉर टीचर्स एजुकेशन में ससमय कन्फर्म तथा प्रवेशित हैं किन्तु उनके द्वारा विश्वविद्यालय का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है। समिति के संज्ञान में यह भी है कि शेष 73 अभ्यर्थी नियत दिनांक (15 जुलाई 2019) तक अपना प्रवेश नहीं ले पाये थे और न ही उनके प्रवेश महाविद्यालयो ने कन्फर्म किये थे। यह उल्लेखनीय है कि इन अभ्यर्थियों में से किसी के द्वारा भी विश्वविद्यालय पोर्टल की तकनीकी कठिनाई (Snag) के सम्बन्ध में कोई शिकायत तदसमय प्रस्तुत नहीं की गई न ही सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा तकनीकी कठिनाई के विषय में कोई सूचना तत्समय दी गई। इसी क्रम मे यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि शिक्षण सत्र 2013–14 में कतिपय अभ्यर्थियों को बिना काउंसिलिंग के बी0एड0 पाठ्यक्रम में नियम विरूद्ध प्रवेशित कराया गया था एवं प्रकरण में अनेक वाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित किये गये थे जिसके फलस्वरूप उन छात्रों का परीक्षा परिणाम अद्यतन घोषित नहीं है। यह नियम स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है कि बी0एड0 पाठ्यक्रम के किसी भी सत्र में प्रवेश दिनांक 15 जुलाई के उपरान्त नहीं दिया जायेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णयजों एवं उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों के आलोक एवं अनुपालन में यह स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी भी अभ्यर्थी को 15.07.2019 के पश्चात बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2019–21 में प्रवेश अनुमत करना न सिर्फ नियम विरूद्ध होगा अपितु सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी।

समिति द्वारा यह भी तथ्य संज्ञान में लाना है कि उपरोक्त महाविद्यालयों ने दिनांक 15.07.2019 के पश्चात जो सूचियाँ सी0डी0 सहित विश्वविद्यालय में जमा करायी है, उनमें भी इन सभी अप्रवेशित (मदरहुड इन्स्टीट्यूट के प्रकरण में 1 अपंजीकृत अभ्यर्थी, जिसका पंजीकरण शुल्क भी जमा नहीं हुआ) छात्रों की सूची सम्मिलित कर भेज दी गई, जो कि ऑनलाइन प्रवेश सूची से भिन्न है। इस तथ्य को संज्ञान में लाने का आशय यह है कि प्रकरण की वृहद जाँच हो जिससे यह निर्धारित हो सके कि एक महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सी0डी0 में उल्लिखित विद्यार्थी किसी अन्य महाविद्यालय की ऑनलाइन सूची में प्रदर्शित न हो रहे हों।

समिति का स्पष्ट मत है कि **"अल्पसंख्यक महाविद्यालय/संस्थानों को अल्पसंख्यक कोटे के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत समय–सारणी के अनुसार ही कराने थे प्रत्यावेदनों में उल्लिखित अभ्यर्थियों में से मात्र 11 अभ्यर्थी जो कि शान्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन की सूची में अंकित है एवं ससमय प्रवेशित है, के परीक्षा फार्म कतिपय कारणों से तद्समय नहीं भरे जा सके थे। माननीय कुलपति जी से अनुमति प्राप्त कर उक्त 11 विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरवाये जा सकते है। इन 11 अभ्यार्थियों के अतिरिक्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा बी0एड0 सत्र 2019–21 में कथित प्रवेशित अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना नियम विरूद्ध होगा एवं उक्त कथित प्रवेशित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।**

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों एवं गठित समिति की संस्तुति के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत किये गये कथित प्रवेशों को नियमानुसार न होने के कारण में महाविद्यालय/संस्थानों से प्राप्त ऐसे प्रत्यावेदनों को निरस्त किया जाता है।

**भवदीय,**

18-09-2020

**कुलसचिव**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति–कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
04. प्रभारी, बी0एड0 सैल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. प्राचार्य/सचिव, सेठ रामानन्द मंगलसैन महाविद्यालय, छतारी (बु0शहर),
06. प्राचार्य/सचिव, महिला इंस्टी0 ऑफ टैक्नोलॉजी, मेरठ,
07. प्राचार्य/सचिव, मदरहुड इंस्टी0 ऑफ टैक्नोलॉजी,मेरठ,
08. प्राचार्य/सचिव, आर0आई0ई0टी0 विद्यापीठ,मेरठ,
09. प्राचार्य/सचिव, श्रीमति कमला देवी विद्यापीठ, मेरठ,
10. प्राचार्य/सचिव, टी0जी0टी0 कालेज ऑफ एजूकेशन डिग्री कालेज, सहारनपुर।
11. प्राचार्य/सचिव, शान्ति निकेतन इंस्टी0 फोर टीचर्स एजूकेशन, मेरठ।
12. प्राचार्य/सचिव, स्यादवाद इंस्टी0 ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बागपत।
13. प्राचार्य/सचिव, चौधरी बशीर खॉ महाविद्यालय, हर्रा,मेरठ।
14. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
15. प्रभारी, वेबसाइट

**कुलसचिव**